

# वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्राधिकरण की रामनगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर (दुर्बल आयवर्ग) का भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

Web Site : [www.vdavns.org](http://www.vdavns.org)

पंजीकरण तिथि 8-1-18 से दिनांक 30-1-18 तक

लाटरी की तिथि दिनांक 6-2-18 को प्राधिकरण मीटिंग हाल में 12:00 बजे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पूर्ण रूप से विकसित रामनगर आवासीय योजना के दुर्बल आयवर्ग तीन मंजिले भवन आवंटन हेतु उपलब्ध है। इन भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों का आवंटन पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

आवंटन के इच्छुक व्यक्ति, जिनके परिवार (पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) के नाम से प्राधिकरण सीमा में कोई भूमि/भवन न होने के सम्बन्ध में नवीन फोटो सहित शपथ पत्र हो, तथा नीचे अंकित आय सीमा के अन्तर्गत आते हो, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क की धनराशि जो नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में होगा, जमा किया जाना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक " सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी" के नाम से होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय के हेल्प-डेस्क पटल/सम्पत्ति अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र प्राधिकरण के हेल्प-डेस्क से ₹0 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विवरण उपरोक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

क0सं0	भवनों के प्रकार	भवनों की संख्या	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि	अधिकतम वार्षिक आय सीमा	भुगतान पद्धति
1.	कमजोर आयवर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	23	₹0 5,18,000-00 से ₹0 5,45,000-00 तक	₹0 50,000-00	1,00,000-00	आवंटन के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि निर्धारित ब्याज सहित 15 वर्ष की 180 मासिक किस्तों में देय है।

(एन0एन0 सिंह)  
संयुक्त सचिव

(विशाल सिंह)  
सचिव

(राजेश कुमार)  
उपाध्यक्ष

# वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्राधिकरण की रामनगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर (दुर्बल आयवर्ग) का भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

Web Site : [www.vdavns.org](http://www.vdavns.org)

पंजीकरण तिथि 6.1.19 से दिनांक 30.1.19 तक

लाटरी की तिथि दिनांक 6.2.19 को प्राधिकरण मीटिंग हाल में 12:00 बजे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पूर्ण रूप से विकसित रामनगर आवासीय योजना के दुर्बल आयवर्ग तीन मंजिले भवन आवंटन हेतु उपलब्ध है। इन भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भवनों का आवंटन पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

आवंटन के इच्छुक व्यक्ति, जिनके परिवार (पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) के नाम से प्राधिकरण सीमा में कोई भूमि/भवन न होने के सम्बन्ध में नवीन फोटो सहित शपथ पत्र हो, तथा नीचे अंकित आय सीमा के अन्तर्गत आते हो, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क की धनराशि जो नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में होगा, जमा किया जाना आवश्यक होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक " सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी" के नाम से होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय के हेल्प-डेस्क पटल/सम्पत्ति अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र प्राधिकरण के हेल्प-डेस्क से रू0 100.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विवरण उपरोक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।

क्र. सं.	आवास संख्या	आवास का मूल्य	पंजीकरण धनराशि	आय सीमा वार्षिक
1.	ई-5	रू0 5,45000.00	रू0 54,500.00	रू0 1,00,000.00 तक
2.	ई-7	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
3.	एफ-6	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
4.	एफ-8	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
5.	जी-5	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
6.	जी-6	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
7.	जी-7	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
8.	जी-8	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
9.	एच-5	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
10.	एच-6	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
11.	जी-9	रू0 5,30000.00	रू0 53,000.00	" "
12.	डी-4	रू0 8,54000.00	रू0 85,400.00	" "
13.	ए-6	रू0 5,33000.00	रू0 53,300.00	" "
14.	ए-7	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
15.	ए-8	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
16.	बी-6	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
17.	बी-7	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
18.	बी-8	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "
19.	सी-7	रू0 5,18000.00	रू0 51,800.00	" "

क्र. सं.	आवास संख्या	आवास का मूल्य	पंजीकरण धनराशि	आय सीमा वार्षिक
20.	सी-8	रु0 5,18000.00	रु0 51,800.00	" "
21.	डी-6	रु0 5,18000.00	रु0 51,800.00	" "
22.	डी-7	रु0 5,31000.00	रु0 53,100.00	" "
23.	डी-8	रु0 5,43,000.00	रु0 54,300.00	" "

आवंटन के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि निर्धारित ब्याज सहित 15 वर्ष की 180 मासिक किस्तों में देय होगी।

(एन0एन0 सिंह)  
संयुक्त सचिव

(विशाल सिंह)  
सचिव

(राजेश कुमार)  
उपाध्यक्ष